21/5/25

पत्रावली वादी अवमुक्त विधि-
कार्यवाही में प्रेषित हुई। वादिनी
द्वारा वादिनी अधिवक्ता ने निवेदन किया
है पक्षकारों के मध्य समझौता
होने के कारण अवमुक्त की जाकर
दे प्रेषित होने का आदेश पारित
करने का निवेदन किया। अतः वादिनी
के निवेदन पर आदेश पारित है
कि वादिनी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से
प्रस्तुत किया जाकर है आदेश
होकर नथी के रूप में।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

नहीं चलना
चाहते हैं
21-5-